न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज.)

प्रकरण सं0 43/2022 तारीख दायर :–01.08.2022 दिनांक निर्णय :–21.09.2022

निर्णय

पटवारी हल्का फिरोजपुर जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कारोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि माफी मन्दिर श्रीनृसिंहजी महाराज वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर की खातेदारी भूमि वाके ग्राम होदायली के खसरा नम्बर 228/0.19 है0 पर लक्ष्मणसिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ़ जिला अलवर सा0 देह के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है।

प्रकरण के सम्बंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 तथा परिपत्र क्रमांक प.3(2) राजा–6/2007/पार्ट जयपुर दिनांक 20.08.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार पटवारी हल्का फिरोजपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। जिसकी विधिवत् तामील होकर प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। गैरसायलान अनुपस्थित रहे। गैरसायलान के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों का भी ध्यानपूर्वक मनन किया गया। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या 05 में राज्य सरकार द्वारा "मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी हल्का द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होगे।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

जिला कलक्टर माफी मन्दिर श्रीनृसिंहजी महाराज की भूमि सम्बंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनका प्रकरण दर्ज कर तदानुसार प्रभावी निस्तारण करेगे।'' के निर्देश जारी किये गये है। पटवारी हल्का फिरोजपुर की रिपोट के अनुसार माफी मन्दिर श्रीनृसिंहजी महाराज वाके ग्राम होदायली की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 228/0.19 है0 मूर्ति मन्दिर विराजमान के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

उक्त मूर्ति मंदिर की भूमि लक्ष्मणसिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा खसरा नम्बर 228/0.19 है0 वाके ग्राम होदायली के भाग 0.19 है0 पर बाजरा, कर अतिक्रमण किया गया है।

अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी सम्वत् 2069–75 के अनुसार मूर्ति मन्दिर विराजमान वाके ग्राम होदायली सा0 देह खातेदार है। जिस पर गैरसायलान लक्ष्मणसिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ़ जिला अलवर पर गैरसायलान की हैसियत माफी मन्दिर श्रीनृसिंहजी महाराज की भूमि पर एक अतिक्रमी की है और मंदिर माफी देवमूर्ति की भूमियों से राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिक्रमी लक्ष्मणसिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली तहसील राजगढ़ जिला अलवर को बेदखल किया जाना विधिनुसार समाचीन है।

अतः माफी मन्दिर श्रीनृसिंहजी महाराज वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ़ जिला अलवर की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 228/0.19 है0 से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है, साथ ही शरह लगान 1.52 रूपये की 50 गुणा राशि 76/– रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों ढिगावड़ा/पटवारी हल्का फिरोजपुर को आदेश दिये जाते है एव साथ ही फसल कब्जे राज लेकर नीलाम कर फर्द नीलामी प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बादपूर्ति लेख भण्ड़ार हों।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को मेंरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(गिर्राज प्रसाद मीना)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. ४ वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 18 पर सि.ची. 76/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार